

सूचना उपखण्ड अधिकारी, चिड़वा मुकाम

केलेश बनाम मेधा रानी

क्रमांक 178 सन् 2017


तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।
7/11/17	<p>आज मर दाया दादा जाम रिपोर्ट पेश हुका 100 वकील किया जाये व लकी प्रतिवादी गवा प्रस्तुत तलवात पर जारी मेरिय नकल दाया मेफकर की जाये पिपल आपदा व लकी हेतु दिनांक 25/12/17 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चिड़वा जिला बुन्देलखण्ड (राज.)</p>	
20/12/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारा उपाधिकृत। वकील प्रतिवादी ने 0-39-R-4 CPC का प्रथम पत्र पेश किया वकील दादी ने प्रोवा रिपोर्ट वाबत निवेदन किया अतः वकीलदा चिड़वा को 500/- पर प्रोवा वकीलदा निवेदन किया जाकर आदेशित किया जाया है कि स्वयं प्रोवा पर प्रोवा की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट दिनांक 21/12 को आवश्यक रूप से पेश करें। दुनरूप वकीलदा चिड़वा एका पट्टा की प्रोवा पर मेफकर रिपोर्ट भेगवावे।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चिड़वा जिला बुन्देलखण्ड (राज.)</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
1-18	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक हड़लाल पर होने के कारण पक्षकार स्वयं उपस्थित। पक्षकार के द्वारा आपसी सहमति के तहत निर्णय के निवेदन किया गया। पक्षकार के निवेदन के आधार पर निष्पत्ति अंततः हड़लाल</p>	

नरेश
हम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुकम
में जारी

निज्ञावा की रिपोर्ट में प्रस्तुत नक्शा
के अनुसार मार्क A, D, E, J तक
10 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जाता
है। प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 की भूमि
ख. नं० 495 में मार्क A से E तक
जो भूमि रास्ते के पेटे कम होगी
वह भूमि वादी के ख. नं० $\frac{804}{495}$ में E से F
के लगती हुई पूरी लम्बाई में प्रतिवादीगण नं०
1 व 2 को दिया जाता है तथा E से J तक
जो भूमि रास्ते के पेटे वादी के खेत ख. नं०
 $\frac{804}{495}$ के कम होगी वह भूमि प्रतिवादीगण नं०
1 व 2 के खेत ख. नं० 805/495 में I से
H लम्बाई में कम की जाकर वादी को दिया
जाता है उक्त अनुसार ही तहसीलदार (चिगावा)
शिवरज रिजोर्ड में अमल प्राप्त करें। व
उक्त अनुसार नक्शा दुरुस्त करें।


कमिश्नर

परखण्ड अधिकारी चिगावा

पुनश्चप परकारों की आपसी सहमती से मॉरिक्
सहमती से यदि वादी A से E तक रास्ता नहीं लेता हो
तो उसके छिपे छिपे F की दूरी कम नहीं होगी
और छिपे J तक की दूरी जो रास्ते में कम होगी
उसके वाकत I से H तक की दूरी खेत ख. नं० 805/495
में कम होगी परवासी फेराल सुधार लेकर नक्शा के
कम की जाकर वाद तकमिल जायता शामिल इफतल्लो
मोका रिपोर्ट व नक्शों के अनुसार रिजोर्ड किया जाता है।

परखण्ड अधिकारी चिगावा